



Phone/ Fax:- 0135-2531152

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
नवम् वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Superintending Engineer, 9th Circle PWD, Dehradun Uttarakhand
Website- <http://pwd.uk.gov.in> E-mail: sepwdddun@rediff.com

पत्रांक : 223 / 11(i)C-9/18

• दिनांक: 15/1/2018

सेवा में,

- 1— उप महाप्रबंधक (तकनीकी) एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बलवीर रोड़, देहरादून।
- 2— मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग, लो०नि०वि०, देहरादून / हल्द्वानी।

विषय:— राज्य में ब्लैक स्पॉट के इतर अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों की सूची प्रेषण किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— आपका पत्रांक—50091/भाराराप्रा/आरओ—यूकेडी/2014/6223, दिनांक 11 जनवरी, 2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.01.2018 को प्रस्तावित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग बैठक हेतु निर्धारित प्रारूप के बिन्दु संख्या—3 ब्लैक स्पॉट के इतर अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों की सूचना प्रेषित करने हेतु लिखा गया है।

अतः सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी एवं ऊधमसिंह नगर से प्राप्त सूचना संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अरोनी अग्रवाल
(आर०सी०अग्रवाल)
अधीक्षण अभियन्ता/
नोडल अधिकारी (रोड़ सेपटी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषित:

- 1— अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
- 4— रीजनल ऑफीसर, एन०एच०ए०आई०, 58/37 बलवीर रोड़, डालनवाला, देहरादून।

अधीक्षण अभियन्ता/
नोडल अधिकारी (रोड़ सेपटी)
नवम् वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून



**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
नवम् वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून**

Phone/ Fax:- 0135-2531152

**Office of the Superintending Engineer, 9th Circle PWD, Dehradun Uttarakhand
Website- <http://pwd.uk.gov.in>**

E-mail: sepwdddun@rediff.com

पत्रांक : ५००३ / ११२३ रुम्ब - २०१८

• दिनांक: १५/१/२०१८

सेवा में,

- | | |
|---|--|
| 1— उप महाप्रबंधक (तकनीकी) एवं
सड़क सुरक्षा अधिकारी
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
बलवीर रोड़, देहरादून। | 2— मुख्य अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग, लो०नि०वि०,
देहरादून / हल्द्वानी। |
|---|--|

विषय:- राज्य में ब्लैक स्पॉट के इतर अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों की सूची प्रेषण किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक—50091 / भाराराप्रा / आरओ—यूकेडी / 2014 / 6223, दिनांक 11 जनवरी, 2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.01.2018 को प्रस्तावित वीडियो कान्फेन्सिंग बैठक हेतु निर्धारित प्रारूप के बिन्दु संख्या—३ ब्लैक स्पॉट के इतर अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों की सूचना प्रेषित करने हेतु लिखा गया है।

अतः सहायक सम्मानीय परिवहन अधिकारी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी एवं ऊधमसिंह नगर से प्राप्त सूचना संलग्न कर अप्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

(आर०सी०अग्रवाल)
अधीक्षण अभियन्ता /
नोडल अधिकारी (रोड़ सेप्टी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ / सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— प्रमुख सचिव / सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
- 4— रीजनल आफीसर, एन०एच०ए०आई०, ५८ / ३७ बलवीर रोड़, डालनवाला, देहरादून।

अधीक्षण अभियन्ता /
नोडल अधिकारी (रोड़ सेप्टी)
नवम् वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून

कार्यालय सहायकसभागीय परिवहनअधिकारी (प्रवर्तन) हरिद्वार।

फोन नं०-०१३३४-२३९७६७, फैक्स नं०-०१३३४-२३९७६९

पत्रांक- ५०८/प्रवर्तन-हरिद्वार/स०सु०/२०१७

दिनांक:- २२-०८-१७

सेवामें,

परिवहन आयुक्त महोदय

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य में ब्लैक स्पॉट से इतर-अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण एवं सुधारी करण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या ४६२९/प्रवर्तन/स०सु०/१-८(५०)/२०१७ दिनांक १३ जुलाई २०१७ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो समस्त जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति उत्तराखण्ड को सम्बोधित है, के अनुपालन में दिनांक २७-०७-२०१७ को अधोहस्ताक्षरी द्वारा कुमारी यशोधरा विष्ट सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग रुड़की तथा श्री रविकान्त सेमवाल यातायात निरीक्षक हरिद्वार के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७४ (चिड़ियापुर के समीप उत्तराखण्ड राज्य की सीमा से चाढ़ी चौक) तथा सिंह द्वार से लक्सर मार्ग का सर्वेक्षण किया गया। मार्ग में ब्लैक स्पॉट से इतर जो अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र पाये गये उनकी सर्वेक्षण आख्या निम्नवत है।

A-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ७४-चिड़ियापुर के समीप उत्तराखण्ड राज्य की सीमा कि०मी० ० से-

१- कि०मी० ३.६ पर कोटद्वार की तरफ से आने वाली नहर मार्ग जो मुख्य मार्ग में दांयी ओर से ९० डिग्री पर मिलती है, इस स्थान पर कोई भी संकेतक नहीं लगे हैं। अतः संकेतक लगाये जाने अनिवार्य है।

२- कि०मी० ७.९ पर लाल ढांग से आने वाली सड़क भी मुख्य मार्ग में दांयी ओर से लगभग ९० डिग्री पर मिलती है, मुख्य मार्ग एवं दांयी ओर लाल ढांग की तरफ से आने वाली मार्ग पर संकेतक लगाया जाना अनिवार्य है साथ ही लालढांग की ओर से आने वाली सड़क पर गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) भी लगाया जाना अनिवार्य है।

३- कि०मी० ८.४ गैण्डी खाता कस्बे के समीप भी दांयी ओर से कस्बे की तरफ से आने वाला मार्ग भी मुख्य मार्ग से ९० डिग्री पर मिलता है एवं इस स्थान पर ढाबे इत्यादि होने के कारण सदैव भीड़-भाड़ रहती है, इस स्थान पर भी कोई संकेतक नहीं लगे हैं। अतः संकेतक लगाये जाना अनिवार्य है। साथ ही कस्बे की ओर से आने वाली सड़क पर गति अवरोधक लगाया जाना भी अनिवार्य है।

४- कि०मी० १० (टोल टैक्स बैरियर के समीप) ढलान युक्त तीव्र मोड है (हरिद्वार की ओर से) एवं संकेतक नहीं लगे हैं। अतः संकेतक लगाये जाने अनिवार्य है।

५- कि०मी० १३.३ (पुल के समीप) लगभग ७० भीटर मार्ग के बांयी तरफ खाई है खाई के अन्तिम छोर पर सड़क के समानान्तर पेड़ों की श्रृंखला है। जिससे रात्रि में वाहन चालक को मार्ग की सही स्थिति से भ्रम उत्पन्न हो सकता है। अतः मार्ग के बांयी ओर कैश बैरियर लगाया जाना उचित होगा।

६- कि०मी० १८.६ पर ग्राम बाहरपीली की ओर से आने वाला मार्ग बांयी तरफ से मुख्य मार्ग पर ९० डिग्री पर मिलता है। अतः मार्ग पर संकेतक लगाये जाने अनिवार्य हैं।

७- कि०मी० २०.८ पर बांयी तरफ श्रीराम आश्रम स्कूल है। अतः मुख्य मार्ग पर संकेतक लगाये जाना अनिवार्य है।

AN(१२.१)

२९/०८/१७

कार्यालय सहायकसभागीय प्रवर्तन
उत्तराखण्ड, देहरादून।
३१ Aug 2017
1287

8- कि०मी० 24.1 पर कांगड़ी गांव की तरफ से आने वाला मार्ग मुख्य मार्ग पर बांयी ओर से मिलता है। अतः संकेतक लगाया जाना अनिवार्य है। साथ ही कांगड़ी गांव की तरफ से आने वाले मार्ग पर गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) लगाया जाना अनिवार्य है।

9-चण्डी मन्दिर के प्रवेश द्वार से चण्डी पुल तक मुख्य मार्ग पर कई स्थानों पर बरसात के कारण गढ़दे हो गये हैं जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। अतः गढ़दों का भराव किया जाना अनिवार्य है।

B-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334A(सिंह द्वार से लक्सर तक)-सिंहद्वार कि०मी० ० से

1-कि०मी० 3.5 से कि०मी० 3.8 तक मार्ग के दांयी ओर शिवडेल स्कूल, महर्षि विद्या मन्दिर, डी०ए०वी० एवं गुरुराम राय स्कूल स्थित हैं। मुख्य मार्ग पर कोई संकेतक नहीं लगे हैं। अतः संकेतक लगाये जाने अनिवार्य हैं।

2- कि०मी० 9.8 फेरुपुर तिराहा से दांयी ओर एक मार्ग पथरी थाना की ओर जाता है। मार्ग पर कोई संकेतक नहीं लगे हैं। अतः संकेतक लगाया जाना अनिवार्य है।

3- कि०मी० 15.2 रानी माजरा पर बांयी ओर से एक ग्रामीण मार्ग मुख्य मार्ग पर 90 डिग्री पर मिलता है। मार्ग पर संकेतक नहीं लगे हैं। अतः संकेतक लगाया जाना अनिवार्य है। साथ ही मुख्य मार्ग पर मिलने वाले ग्रामीण मार्ग पर गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) लगाया जाना अनिवार्य है।

4- कि०मी० 16.5 पर भोगपुर की तरफ से आने वाला ग्रामीण मार्ग मुख्य मार्ग पर 90 डिग्री पर मिलता है। मार्ग पर संकेतक नहीं लगे हैं। अतः संकेतक लगाया जाना अनिवार्य है। साथ ही मुख्य मार्ग पर मिलने वाले ग्रामीण मार्ग पर गति अवरोधक (स्पीड ब्रेकर) लगाया जाना अनिवार्य है।

5- कि०मी० 28.8 निर्माणाधीन पुल के समीप मार्ग की छौड़ाई अपेक्षाकृत कम है तथा मार्ग के बांयी ओर कैश बैरियर नहीं लगे हैं। अतः संकेतक एवं कैश बैरियर लगाया जाना अनिवार्य है।

महोदय यह भी अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर मार्ग छौड़ीकरण का कार्य गतिमान है, जिस कारण उक्त मार्ग पर दुर्घटना सम्भावित स्थल का यिन्हींकरण नहीं किया जा सका। छौड़ीकरण का कार्य पूर्ण होते ही सर्वेक्षण कर आख्या महोदय को प्रेषित कर दी जायेगी।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रवर्तन) हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिला मजिस्ट्रेट महोदय/अध्यक्ष सड़क सुरक्षा समिति हरिद्वार।

2-परिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार।

3-सम्भागीय परिवहन अधिकारी महोदय देहरादून।

4-कुमारी यशोधरा विष्ट, सहायक अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग रुड़की।

5-श्री रविकान्त सेमवाल, यातायात निरीक्षक हरिद्वार।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रवर्तन) हरिद्वार।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी।

संख्या: ५८ / राजप्रशासन-संसुचना / 2017-18

दिनांक : 17-08-2017

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

विषय:- (Vulnerable Sopt) दुर्घटना संभावित स्थलों के विनिहिकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरांकत विषयक जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 27.07.2017 में आपके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद में ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्र (Vulnerable Sopt) का विनिहिकरण परिवहन विभाग, पुलिस एवं लोक निर्माण विभाग पौड़ी हारा संयुक्त रूप से किया गया, विनिहित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०स०	थाना क्षेत्र	दुर्घटना संभावित क्षेत्र (Vulnerable Sopt)
01	थाना रिखणीखाल	<ol style="list-style-type: none"> कुनातीखाल सिद्धखाल
02	थाना देवप्रयाग	<ol style="list-style-type: none"> कुण्डाधार (सबदखाल एवं देवप्रयाग के मध्य) चपरोली पानी (सबदरखाल के मध्य) कुण्डाधार के पीछे मोड़ पर ग्राम सौड़ के पास
03	थाना लक्ष्मणझुली	<ol style="list-style-type: none"> गलुडचट्टी से 200 मीटर आगे घट्टदृष्टाट से आगे 500 मीटर पीपलकोटी की तरफ
04	थाना श्रीनगर	<ol style="list-style-type: none"> मालदेह्याया चमधार धैण्ड कालीगढ़ पुलिया सिरोहयगड़
05	थाना लैन्सडाउन	<ol style="list-style-type: none"> वैरागी के समीप (गुमखाल-सतपुली के मध्य) भदालीखाल (गुमखाल-कोटद्वार मार्ग) पुराना टोलबार (लैन्सडाउन-कोटद्वार मार्ग) आरपानी से करीब 500 मीटर आगे लैन्सडाउन की तरफ (लैन्सडाउन-गुमखाल मार्ग) हटनिया के पास (गुमखाल-कोटद्वार मार्ग)
06	थाना धुगाकोट	<ol style="list-style-type: none"> हल्दूखाल भीन-पीपली मार्ग लिस्टिया खेत मोड़ जड़ाऊखांद से पहले मोड़
07	थाना कालागढ़	1. हनुमान मंदिर तिराहा
08	थाना पौड़ी	<ol style="list-style-type: none"> कलदुगंग ग्राम से नीचे (पौड़ी-श्रीनगर मार्ग) कलदुगंग ग्राम से नीचे, उपरोक्त स्थान से लगभग 20 मीटर पूर्व पौड़ी की ओर (पौड़ी-श्रीनगर मार्ग)
09	महिला थाना श्रीनगर	शून्य
10	थाना सतपुली	शून्य
11	थाना कोटद्वार	शून्य

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या आश्रयक कार्यवाही हेतु सादर प्रेरित है।

पुलिस क्षेत्राधिकारी, पौड़ी।

अधिशासी अधिकारी
लोक निर्माण विभाग पौड़ी।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
पौड़ी।

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) ऋषिकेश

फोन: 0135-2430623 फैक्स: 0135-2436623 टोल फ्री-18001804230

E-mail: artorishikesh.uk@gmail.com

पत्रांक: 1196/प्रवर्तन/सड़क सु0/2017

दिनांक 13.09.2017

सेवा मे,

अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून।

19 दिसंबर 2017

1875

विषय:- ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित दुर्घटना सम्भावित स्थल (ब्लैक स्पॉट से मिल) विषयक।
महोदया,

उपरोक्त विषयक परिवहन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2017 को आहुति समीक्षा बैठक में महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दुर्घटना सम्भावित स्थलों के चिन्हीकरण हेतु उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले 04 प्रमुख मार्गों का अधोहस्ताक्षरी द्वारा सर्वे किया गया। जिसमें क्षेत्रान्तर्गत स्थापित पुलिस थाने/चौकी प्रभारियों, रोड निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के सहयोग तथा जन संवाद से दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील (ब्लैक स्पॉट से ईतर) मुख्य स्थल चिन्हित किये गये। चिन्हित किये गये स्थलों की मार्गवार सर्वे आख्या निम्नवत हैं—

1— मोतीघूर—रायवाला—नेपालीफार्म—लालतप्पड़—भानियावाला—डोईवाला (राष्ट्रीय राजमार्ग-72/07)।

क्रो सं०	दुर्घटना सम्भावित मुख्य स्थल	स्थल का संक्षिप्त विवरण	विभाग जिसके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जानी है
1	प्राईमरी रस्कूल, हरिपुरकला।	रोड साईन व गरि सीमा बोर्ड नहीं लगा है। मार्ग संकेतक व जेब्रा क्रासिंग होना आवश्यक है।	केन्द्र सरकार द्वारा राजमार्ग चौड़ीकरण (फोरलेन) का कार्य गतिमान है अतः परियोजना प्रबन्धक, एनएचएआई, गुरु तेगबहादुर रोड, फब्बारा चौक, देहरादून से कार्यवाही अपेक्षित है।
2	मोतीघूर, रेलवे क्रासिंग।	मार्ग संकरा है। पलाईओवर निर्माणाधीन है। मार्ग चौड़ीकरण किया जाना चाहिए। मार्ग के दोनों ओर परावर्ती खम्मे लगाये जाने चाहिए।	
3	रायवाला बाजार। <i>(Q.S)</i>	सड़क से 50 मीटर की दूरी पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय तथा रेलवे स्टेशन है। मार्ग पर अस्पताल व रस्कूल सूचक रोड साईन लगाया जाना चाहिए तथा बाजार होने के कारण पैदल यात्रियों का निरन्तर आवागमन रहता है जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। अतः पैदल यात्रियों हेतु सब-ये का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिससे पैदल यात्री एक ही स्थान से सड़क क्रॉस कर सके।	
4	मोतीघूर—रायवाला—भानियावाला। <i>(भानियावाला तक तुरन्त आवश्यक)</i>	मां आनन्दगढ़ी विद्यालय, थाना रायवाला व पैट्रोल पम्प स्थित है। गति सीमा, रस्कूल सूचक साईन बोर्ड लगाया जाना चाहिए, सड़क के किनारे रिफ्लेक्टर लगाया जाना आवश्यक है।	
5	मिडवे रेस्टोरेंट।	सड़क संकरी एवं गड़दायुक्त है। सड़क पर ढाबे होने से मार्ग का अतिक्रमण हुआ है। जिससे यातायात बाधित होता है। मार्ग चौड़ीकरण व रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है। मार्ग का पूर्णतः उपचार किया जाना आवश्यक है।	
6	सत्यानारायण	सड़क चौड़ीकरण का कार्य गतिमान है। जिससे ट्रैफिक व्यवस्था	

	मंदिर।	सिंगल रुट पर है। मंदिर से आगे तिराहे की ओर सड़क असमतल तथा ढलाव वाली होने के कारण दुपहिया वाहनों के लिए संवेदनशील है। जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है।
7	नेपालीफार्म तिराहा।	पुलिस सहायता केन्द्र है। सड़क संकरी है। सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। मार्ग संकेतक व स्पष्ट डायर्जन का बोर्ड होना आवश्यक है।
8	जीआईसी छिद्रवाला।	राजकीय इंटर कॉलेज, सेमफोर्ड स्कूल मार्ग पर स्थित है। स्कूल संकेतक व गतिसीमा बोर्ड के साथ गति अवरोधक लगाये जाने चाहिए।
9	पुलिस चौकी लालतपड़।	औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बड़े वाहनों का आवागमन है किन्तु सीधी सड़क होने के कारण वाहनों की गति अधिक होती है। गतिसीमा बोर्ड के साथ गति अवरोधक लगाये जाने चाहिए। केटआई रिफ्लैक्टर के साथ जेब्रा क्रासिंग होनी चाहिए।
10	पीजी कॉलेज।	मार्ग के दोनों ओर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय व आईटीआई स्थित है। स्पीड ब्रेकर, संकेतक बोर्ड व जेब्रा क्रासिंग होना चाहिए।
11	डाईवाला बाजार।	सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण है तथा मार्ग संकरा एवं अतिक्रमण होने के कारण यातायात बाधित होता है। मार्ग पर डिवाईडर होना चाहिए।
12	थाना डाईवाला।	थाना डाईवाला व राजकीय चिकित्सालय स्थित है। सड़क उबड़-खाबड़ है। संकेतक घिन्ह, गतिसीमा व जेब्रा क्रासिंग होना आवश्यक है।
सम्पूर्ण मार्ग पर गतिसीमा बोर्ड, संकेतक तथा डाईवरजन विन्डुओं पर स्पष्ट संकेतक होना अति आवश्यक है।		

2—श्यामपुर पुलिस चौकी—गुमानीवाला—नटराज, चौक ऋषिकेश मार्ग (एसएच—10)।

क्र० सं०	दुर्घटना सम्भावित मुख्य स्थल	स्थल का संक्षिप्त विवरण	विभाग जिसके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जानी है
1	श्यामपुर तिराहा/ पुलिस चौकी।	आबादी क्षेत्र एवं तिराहा है। तिराहा से ऊपर की ओर स्पीड ब्रेकर बना है लेकिन संकेतक तथा पेंट न होने के कारण दुर्घटना की वृद्धि से संवेदनशील है।	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश से कार्यवाही अपेक्षित है।
2	रेलवे क्रासिंग	मार्ग संकरा एवं गड्ढेयुक्त है। संकेतक भी नहीं लगे हैं। मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना एवं संकेतक आवश्यक है।	
3	डीएसटी स्कूल तथा अगापे मिशन स्कूल।	जेब्रा क्रासिंग होना चाहिए। स्कूल संकेतक बोर्ड होना चाहिए।	
4	मनसादेवी तिराहा।	गतिसीमा का बोर्ड होना चाहिए। जेब्रा क्रासिंग होना चाहिए।	
5	खापड़ गाँव (विस्थापित)	मार्ग पर ब्रेकर है लेकिन संकेतक एवं पेंट न होने के कारण दुपहिया वाहनों के दुर्घटना की संभावना रहती है।	
6	स०स०प०कार्यालय	दुर्घटना संभावित क्षेत्र है गतिसीमा के बोर्ड लगाना व	

		रिपलेक्टर होना आवश्यक है।
7 प्र० ८०	तहसील चौक	चौराहा होने के कारण ब्रेकर, जेव्रा क्रासिंग होना व गति सीमा के संकेतक बोर्ड होना आवश्यक है।
8 प्र० १०	नटराज चौक	आबादी क्षेत्र एवं निर्वाध गति से चारों ओर से यातायात संचालित होता है। गतिसीमा का साईन बोर्ड जेव्रा क्रासिंग एवं रोड ब्रेकर होना आवश्यक है।
		मार्ग के दर्द तथा बाईं ओर खड़े पेड़ों की टहनियों एवं पत्तियों से कहीं-कहीं पर साईन बोर्ड दर्शित नहीं हैं। अतः छंटाई किया जाना आवश्य है। (वन विभाग, ऋषिकेश से अपेक्षित है)

3—नेपालीफार्म—आईडीपीएल—कोयलधाटी (ऋषिकेश) मार्ग।

क्र० सं०	दुर्घटना सम्भावित स्थल	स्थल का संक्षिप्त विवरण	विभाग जिसके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जानी है
1	नेपालीफार्म तिराहा।	पुलिस पिकेट है। मार्ग संकरा है चौड़ीकरण का कार्य गतिमान है।	मार्ग चौड़ीकरण (फोरलेन) का कार्य गतिमान है अतः अधिशासी अभियंता, एनएच डिवीजन, लोक निर्माण विभाग, डोईबाला, देहरादून से कार्यवाही अपेक्षित है।
2	गढ़ीश्यामपुर रेलवे क्रासिंग।	सड़क टूटी-फूटी एवं गड़बेयुक्त हैं। डिवाईडर न होने के कारण यातायात बाधित होता है। सड़क का समतलीकरण तथा डिवाईडर व रिपलेक्टर लगाया जाना आवश्यक है।	
3	श्यामपुर पुलिस घौकी/तिराहा।	आबादी क्षेत्र एवं तिराहा है। डिवाईडर न होने के कारण वाहन अनियन्त्रित ढंग से संचालित होते हैं। जिससे यातायात बाधित होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है।	
4	आईडीपीएल गेट नं०-१	पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थित है। आईडीपीएल गेट से एआईआईएमएस (एम्स) के लिए मार्ग है। किन्तु सड़क पर साईन बोर्ड नहीं है। सड़क की पेंटिंग उखड़ी हुई है। डिवाईडर टुटे हुए हैं, आबादी क्षेत्र है। मार्ग सूचक होना आवश्यक है।	
5	काले की ढाल	तीव्र ढाल है। पुलिया निर्माण कार्य चल रहा है। गति अवरोधक एवं साईन बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	
6	राज०स्नातकोल्लर महाविद्यालय।	सड़क चौड़ीकरण का कार्य गतिमान है। मार्ग पर संकेतक नहीं लगे हैं। जेव्रा क्रासिंग, गतिसीमा के बोर्ड लगवाये जाने आवश्यक हैं।	
7	दैराज तिराहा, कोयलधाटी।	तिराहा से 1.5 किमी० भीतर एम्स है, साईन बोर्ड लगा हुआ है। तिराहा पर सड़क गड़बायुक्त है। भरत मंदिर ईण्टर कॉलेज, ज्योति स्पेशल रकूत, व भारद्वाज हॉस्पिटल स्थित है। घनी आबादी, शहरी क्षेत्र है गति रीमा बोर्ड होना चाहिए।	

4—नटराज चौक—रानीपोखरी—भानियावाला मार्ग।

क्र०सं०	दुर्घटना सम्भावित मुख्य स्थल	स्थल का संक्षिप्त विवरण	विभाग जिसके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जानी है
1	नटराज चौक	चौराहा होने के कारण वाहनों एवं पैदल यात्रियों का अधिशासी अभियंता,	

		आवागमन बना रहता है। स्पीड ब्रेकर नहीं है। जेब्रा क्रासिंग व स्पीड लिमिट के साईन बोर्ड लगाना आवश्यक है।	अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश से कार्यवाही अपेक्षित है।
2	सात मोड़।	घुमावदार व संकरी सड़क है। अति संवेदनशील एवं हाथी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण वन विभाग रो बाहन धीरे चलायें के बोर्ड अथवा गतिसीमा के बोर्ड व रिफ्लेक्टर लगाये जाने अति आवश्यक है।	
3	डांडी-भोगपुर तिराहा।	तीव्र ढाल व मोड़ है। गतिसीमा सूचक बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	
4	डांडी विद्या मंदिर।	पुलिया का कार्य निर्माणाधीन है तथा तीव्र ढाल होने के कारण अतिसंवेदनशील हैं। रिफ्लेक्टर एवं गतिसीमा का बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है।	
5	रानीपोखरी चौराहा।	मार्ग संकरा है। बाजार होने के कारण मार्ग अतिक्रमण है। मार्ग चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।	
6	एअरपोर्ट तिराहा।	एयरपोर्ट से मुख्य मार्ग पर आने के लिए स्पीड ब्रेकर तथा गतिसीमा बोर्ड होना आवश्यक है। तिराहा से 100 मीटर आगे जाखननदी पुल संकरा है। रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है।	
7	पुलिस चौकी जौलीग्रांट।	सड़क के किनारे रिफ्लेक्टर लगाये जाने हैं। पुलिस चौकी संकेतक बोर्ड होना चाहिए।	
8	हिमालयन हॉस्पिटल तिराहा।	मार्ग चौड़ीकरण व डिवाइडर का कार्य निर्माणाधीन है। गतिसीमा एवं हॉस्पिटल के बोर्ड लगाया जाना है।	
9	भानियावाला तिराहा।	मार्ग टूटा-फुटा एवं गड़दायुक्त है। मार्ग का समतलीकरण किया जाना चाहिए। रिफ्लेक्टर लगाया जाना आवश्यक है।	
10	मार्ग के हाथी बाहुल्य क्षेत्र में संबंधित सावधानियों का बोर्ड वन क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश से अपेक्षित है।		

भवदीय,

(डॉ अनीता चमोला)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
ऋषिकेश

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1—परिवहन आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2—जिलाधिकारी, महोदय देहरादून।
- 3—संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
- 4—परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०ए०आ०ई०, गुरुतोग बहादुर रोड, फलारा चौक, देहरादून।
- 5—अधिशासी अभियंता, एन०एच० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डोईवाला देहरादून।
- 6—अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश देहरादून।
- 6—वन क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश रेज, ऋषिकेश।

(डॉ अनीता चमोला)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
ऋषिकेश

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रवर्तन उद्धमसिंह नगर

Phone No.05944-250633, E-mail- artoausn.uk@gmail.com

पत्रांक ३१ / प्रवर्तन / 2017

दिनांक 05.10.2017

रोका में

सम्भागीय परिवहन अधिकारी
हेडानी।

विषय : दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का संयुक्त सर्वे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आज दिनांक 05.10.2017 को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का खटीमा तथा सितारगंज तहसीलों में संयुक्त सर्वे किया गया। जिसकी संयुक्त रिपोर्ट आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यपाली हेतु सादर संलग्न है।

भवदीय

(राम प्रकाश राठौर)

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रवर्तन, उद्धमसिंह नगर

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- ✓ 1. अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति, उद्धमसिंह नगर।
- 3. अधिशारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खटीमा/सितारगंज उद्धमसिंह नगर।
- 4. क्षेत्राधिकारी पुलिस, खटीमा/सितारगंज, उद्धम सिंह नगर।

(राम प्रकाश राठौर)

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रवर्तन, उद्धमसिंह नगर

AD (R.S.)

om

29/10/17

25 Oct 2017

265।

उधना समावेत दस्तो का भूमि संव (दिनांक 05-10-17)

रितारगज तहसील

१. मोकाशट पुल | नमांग नगर

२. विजयी वैराहा | नमांग

३. ढाल वाली पुलिया चालिकी कालीनी मोड़ | नमांग

४. शफिनाफार्म मोड़ | नमांग

५. गिरीना बरुवादाम विराहा | नमांग

६. रिकेट घौराहा, बदरिया सिङ्कुल | नमांग

(अमूल वालीया)

राष्ट्रीयक अभियन्ता

लोक निर्माण विभाग, रितारगज

उधमसिंह नगर

७. विजयी वांव महाला आर्मी
पुल

(हेमा कुमार)

क्षेत्राधिकारी पुलिस
रितारगज, उधमसिंह नगर

(राम प्रकाश राठौर)

ए0आर0टी0ओ०
प्रवर्तन, उधमसिंह नगर

(विनोद कुमार)

उपजिलाधिकारी,
रितारगज

दुर्घटना सम्भावित स्थलों का संयुक्त सर्वे (दिनांक 05-10-2017) तहसील खटीमा

खटीमा से सितारगंज रोड़।

1. इनकट चौराहा।
2. इनकट मैदा मिल।
3. पहेनिया चौराहा।
4. भूल चौराहा (नहर)।
5. तहसील गेट, खटीमा।
6. कंजादारी तिशहा।

मेलाघाट रोड़—

1. खकरा पुल— रिक्वल रिट्रॉप बने हैं तथा लोक निर्माण विभाग का चेतावनी घोर्ड भी लगा है।
2. राजीव नगर चौराहा।
3. पकड़िया पुल— रिक्वल रिट्रॉप बने हैं तथा लोक निर्माण विभाग का चेतावनी घोर्ड लगा है।
4. झेंगी महुवट बन विभाग चौकी के पास— रिक्वल रिट्रॉप बने हैं तथा लोक निर्माण विभाग का चेतावनी घोर्ड लगा है।


खटीमा टनकपुर रोड़— मझौला रोड़

1. लोहियाडेह चौराहा।
2. टिमरी चौराहा।
3. नदना नहर।
4. चारू बेटा पुल
5. सबह मीटल चौराहा

नानकमत्ता

1. मुख्य बाजार में मुख्य चौराहा


(केदरसिंह अधिकारी)
सहायक अधिकारी
लोक निर्माण विभाग, खटीमा
(ऊधम रिंग नगर)


(वी0एल0 मधवाल)
क्षेत्राधिकारी पुलिस
खटीमा
(ऊधम रिंग नगर)


(राम प्रकाश राठोर)
ए0आर0टी0ओ0
प्रवर्तन
(ऊधम रिंग नगर)


(विजयसिंह शुक्ल)
उपजिल्लाधिकारी
खटीमा, ऊधम रिंग नगर